

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
(मंत्रालय)

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2007

क्रमांक: एल- 9/3/2005/ब-7/चार,  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश.

विषय:- वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य शासन द्वारा स्वीकृत विभिन्न ऋणों पर ब्याज की दर का निर्धारण।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 (जिसमें वर्ष 2005-06 के लिए ब्याज दरें लागू की गई थी) के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान मंजूर किए गए ऋणों पर ब्याज की दरें यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। अतः निम्नानुसार दरें वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिये 1.4.2006 से प्रभावशील रहेगी :-

अनु.	श्रेणी	ब्याज दर %
1	कृषक ऋण अधिनियम तथा भूमि सुधार ऋण अधिनियम के अंतर्गत ऋण, वन तकावी व अन्य तकावी सहित 1. चार वर्ष व इससे कम अवधि के ऋण 2. चार वर्ष से अधिक अवधि के ऋण	9.00 10.50 9.00
2	प्राकृतिक विपदाओं में हुए कष्टों में राहत देने के लिये कृषकों व अकृषकों को ऋण	11.50
3	(क) एक करोड से कम अंशपूजी वाली सहकारी संस्थाओं को ऋण (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों और एक करोड से अधिक अंशपूजी वाली सहकारी समितियों को ऋण 1. निवेश ऋण (Investment Loans) 2. नगद कमी या कार्य चालन पूंजी को पूरा करने के लिये ऋण (Working Capital Loans and loans to meet cash losses) (अधिकतम 5 वर्ष)	11.50 11.50 14.50
5	शहरी क्षेत्रों में अस्थायी जल कष्ट निवारण (आयोजना एवं आयोजनेत्तर)	11.50
6	उपद्रवों से पीड़ित व्यक्तियों को ऋण	9.00
7	डाकुओं द्वारा पीड़ित व्यक्तियों /परिवारों को ऋण	9.00
8	डाकुओं द्वारा पीड़ित व्यक्तियों /परिवारों को ऋण	12.00
9	वन अधीक्षकों को बंदूक क्रय करने हेतु ऋण	10.50
10	राज्य आयोजनागत, केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं के लिए ऋण तथा अन्य व्यक्तिगत ऋण (शैक्षणिक अन्य सामाजिक सेवा संस्थायें)	11.50
11	राज्य शासन द्वारा तदर्थ आधार पर ऋण (शैक्षणिक अन्य सामाजिक सेवा संस्थायें तथा अन्य व्यक्तिगत ऋण)	उन्ही दरों पर जिस पर राज्य शासन को ऋण प्राप्त होता है। सामान्य दर से 3.00 अधिक
12	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	
	दाण्डिक ब्याज	

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल को आयोजनागत ऋण कंडिका 8 में उल्लेखित दर पर राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

( संजय कुमार शुक्ल )  
संचालक (बजट)

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक: एल-9/3/2005/ब-7/चार,  
प्रति,

भोपाल दिनांक 12 जनवरी, 20

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
4. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल.
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल.
7. निज सचिव/निज सहायक -----मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल.
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल.
10. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर.
11. महालेखाकार(लेखा और हकदारी/आडिट)-1/2मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल.
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/मध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल.
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
15. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/ मुख्यलेखाधिकारी)मंत्रालय भोपाल.
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय भोपाल.
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश.
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला मध्यप्रदेश.
19. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश.
20. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल.
22. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.



( अजय चौबे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग